MOMENTUM JHARKHAND

पत्र संख्या–वन भूमि–19/2016– 3478 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0– A –2, श्यामली कॉलोनी,
राँची– 834002 ।

राँची, दिनांक– 21/08/17

विषयः– **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् टोरी से शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–FP/JH/RAIL/16617/2015/946 दिनांक–16.12.2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–233 दिनांक–24.03.2017 एवं पत्रांक–581 दिनांक–14.07.2017 से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

उक्त प्रतिवेदनानुसार पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

पृच्छा संख्या–(1)– के निराकरण के क्रम में विभागीय पत्रांक–5060 दिनांक–03.11.2016 द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही पूर्व में प्रेषित है। सुलभ संकेत हेतु उपायुक्त लातेहार के ज्ञापांक–827 दिनांक–26.09.2016 से प्राप्त पृ0–325–65/प0 FRA के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ) संलग्न है।

पृच्छा संख्या–(2)– के निराकरण में प्रतिवेदित है कि लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि 15.89 हे0 (15.86 हे0 अधिसूचित वनभूमि एवं 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी) भूमि पर कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है। वृक्षों की गणना शून्य है।

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली 3.96 हे0 वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

पृच्छा संख्या–(3)– के निराकरण में चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का Geo-reference Map संलग्न है।

पृच्छा संख्या–(4)– के निराकरण में वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल द्वारा Part-II Online कर दिया गया है एवं हस्ताक्षरित Hard Copy संलग्न है।

OK

पृच्छा संख्या–(5)– के निराकरण में लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत 0.011 हे0 वनभूमि पर रेलवे लाईन निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के विरूद्ध किये गये उल्लंघन का उल्लेख वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा Part-II में किया गया है।

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रेलवे लाईन निर्माण में बिना अनुमति के गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी में किये गये कार्य के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के विरूद्ध उल्लंघन को वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संशोधित (Rectify) करते हुए उल्लेख Part-II में अंकित कर संलग्न है।

पृच्छा संख्या–(6)– के निराकरण में टोरी–शिवपुर रेल लाईन के लिए पूर्व में स्वीकृत 197.33 हे0 वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्तावित रेलवे लाईन का Geo reference Map का 32 शीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायी गयी है। उपर्युक्त 32 शीट नक्शों में क्रम संख्या–1 से 27 तक लातेहार वन प्रमंडल से संबंधित तथा शीट संख्या–28 से 32 तक चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से संबंधित है।

अनुरोध है कि उक्त निराकरण प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/8/17

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि –19/2016– 3478 व0प0, राँची दिनांक– 21/08/17

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

11/8/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि –19/2016– 3478 व0प0, राँची दिनांक– 21/08/17

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप मुख्य अभियन्ता/Con/III, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/17

सरकार के उप सचिव